न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील : 166/2019 तकास्मा

1. बजरंगा पुत्र गंगल्या
2. मूली देवी बेवा आनन्दा
3. ओमप्रकाश पुत्र आनन्दा
4. मुकेश पुत्र आनन्दा
5. गौरव पुत्र आनंदा

समस्त जाति मीना निवासी ढाकावास तहसील नांगल राजावतान

....अपीलांट्स

बनाम

1. हरलाल पुत्र कल्याण
2. बत्तूलाल पुत्र कल्याण

जाति मीना निवासी ढाकावास तहसीलनांगल राजावतान

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार, नांगल राजावतान दिनांक 7.5.2018 बाबत सहमति से तकास्मा बहक रेस्पोडेन्ट बाबत खसरा नंबर 247/2

उपस्थितः– 1. श्री सीताराम मीना, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री सतीश पारीक, अप्रार्थी सं0 01 व 02 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 09.06.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान द्वारा दिनाकं 07.05.2018 को रेस्पो0 सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि का तकास्मा आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि ग्राम ढाकावास में खसरा नंबर 154, 156, 157, 216, 217, 221, 211, 215, 241, 242, 247 व 56 रकबा 4.54है. भूमि का बाहमी तौर पर सहमति से तकास्मा हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान के यहाँ पेश किया गया था। तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.12.2002 को तकास्मा किया था तथा अपीलांट के पूर्वज को खसरा नंबर 247/1 व रेस्पों. को खसरा नंबर 247/2 दिया गया था तथा नक्शे में खसरा नंबर 247/1 के उपरी हिस्से करे अपीलांट को दिया गया था। नक्शे के उपर की तरफ दर्शाया गया इसी अनुसार अपीलांट खसरा नंबर 247/1 के उपर के भाग पर काबिज चले आ रहे है तथा आज दिन भी बाहमी तकास्मे के अनुसार काबिजत है। इसके पश्चात रेस्पों. नं0 1 व 2 ने तहसीलदार नांगल राजावतान से मिलीभगत करके खसरा नंबर 154/1, 157/1, 216/1, 242/1, 247/2, 156, 217/1, 221/1, 242/4 रकबा 2.27है. का आपसी सहमति के आधार पर तकास्मा करा लिया तथा तकास्मे के साथ नक्शे में खसरा नंबर 247/2 को पूर्व तकास्मे के अनुसार रेस्पोडेन्टस के पक्ष में नीचे भूमि आई थी परन्तु रेस्पों. ने गलत तरीके से खसरा नंबर 247/2 का तकास्मा खडी लाईन के अनुसार करा लिया तथा उक्त तकास्मा पूर्व में अपीलांट व रेस्पों. की सहमति व तकास्में अनुसार नहीं है बल्कि गलत है। क्योंकि पूर्व में तकास्में में अपीलांट को सहमति से तकास्मे अनुसार खसरा नंबर 247/1 उत्तरी भाग आया था परन्तु रेस्पों. ने पूर्व तकास्में के

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...2 पर

तथ्यों को छुपाते हुए चुपचाप में गलत तरीके से तकास्मा कराया है जो गलत एवं नियम विरूद्ध है। अपीलांट पूर्व में सहमति से हुए तकास्में अनुसार खसरा नंबर 247/1 के उपरी हिस्सा जो अपीलांट के हक में आया था व खसरा नंबर 247/2 रेसपों. सं. 1 व 2 के नीचे के तरफ का हिस्सा आया थां ऐसी सूरत में दिनांक 7.5.2018 को जो तकास्मा रेसपों. सं. 1 व 2 ने कराया है वह गलत तरीक से कराया गया है तथा पूर्व तकास्में के तथ्यों को छिपाया गया है तथा अपीलांट खसरा नंबर 247 के उपरी हिस्से पर तकास्मा अनुसार काबिज है व आज दिन तक भी मौके अनुसार काबिज है। ऐसी सूरत में दिनांक 7.5.2018 के तकास्में को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट व रेस्पों. के हक में हुए पूर्व तकास्मा दिनांक 20.12.2002 के अनुसार काबिज है इसलिए उक्त तकास्में को यथावत रखा जावे। रेस्पों. ने पूर्व तकास्मे अनुसार खसरा नंबर 154/1 व 221/1 की भूमि का विक्रय अन्य को किया जा चुका है इससे भी स्पष्ट है कि रेस्पों. पूर्व में हुए तकास्मा से पाबंद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दिनांक 7.5.2018 को किये गये तकास्मा बहक रेस्पों. सं0 1 व 2 को निरस्त फरमाया जावे तथा खसरा नंबर 247/1 व 247/2 का जो पूर्व तकास्में में नक्शे अनुसार दिनांक 20.12.2002 को तहसीलदार द्वारा किया गया था उसको यथावत रखा जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1लगा. 2 की बहस में दलील है कि ग्राम ढाकावास तहसील नांगल राजावतान में स्थित कृषि भूमि खाता सं0 93 रकबा 2.20है0 का खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 बराबर हिस्सा के खातेदार थे। उक्त खातेदारों द्वारा तहसीलदार नांगल राजावतान को दिनांक 4.5.2018 को आपसी सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन कराने बाबत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर पटवारी हल्का को तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा नियमानुसार मुताबिक सहमति पत्र व मौका नक्शे अनुसार जोत के विभाजन का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रसारित करने पर सह खातेदारान की उपस्थिति में उनके हिस्से का मौकानुसार तकास्मा किया गया है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा पारित आदेश नियमानुसार विधि अनुरुप है। जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व बेबुनियाद एवं मनगढन्त है जिनका कोई आधार ही नहीं है। अपीलांट द्वारा अब दुर्भावना से यह अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है रेस्पों. द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रश्नगत भूमि का विधिवत रूप से तकास्मा किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदारों द्वारा काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के तहत भूमि का बॅटवारा हेतु उप तहसीलदार लवाण को आवेदन करने पर प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट पटवारी हल्का से [illegible] हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त नांगल राजावतान [illegible] करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] उपलब्ध रिपोर्ट पर मौजूद है। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा खातेदारों [illegible] तकास्मा आदेश पारित किये गये। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का [illegible] कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बॅटवारानामा पेश करने पर मौके पर पटवारी से जॉच करवाई जाकर आदेश पारित किया गया है। बॅटवारानाम पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त बॅटवारानामा दिनांक 7.5.2018 को किया जाकर तदनुसार खातेदारों के मध्य विभाजन किया गया जिसको लगभग 5 वर्ष से भी अधिक समय हो गया। उसके बाद बॅटवारानामा गलत

निरंतर ...3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

होना बताया जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पुनः सुना जाना न्याय हित में प्रतीत होता है। पत्रावली व बॅटवारानामा के अवलोकन व उभयपक्ष की बहस को मध्य नजर रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि प्रकरण न्याय हित में रिमाण्ड योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि दोनों पक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 09 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested